

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11440 / 3996

दिनांक :- 31/07/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका सांवरिया [लिंक न. 11440] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुण्डावर, अलवर - [22812] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 15/05/2018 से 28/05/2018 तक 14 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 29/05/2018 से 04/06/2018 तक 7 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 12/06/2018 से 26/06/2018 तक 15 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 27/06/2018 से 03/07/2018 तक 7 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

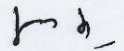
दिनांक 07/07/2018 से 21/07/2018 तक 15 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 22/07/2018 से 28/07/2018 तक 7 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 29/07/2018 से 02/08/2018 तक 5 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 70 दिवस

उक्त कुल 70 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका सांवरिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11440 / 3996

दिनांक :- 31/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुण्डावर, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका सांवरिया [11440] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुण्डावर, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)